मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

ई-मेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र./नि./मेसर्स कीरिप टेक्नो.इंडिया प्रा.लि./725/ 1596 भोपाल, दिनांक 03/07/2025

प्रति,

Kireap Technologies India Pvt. Ltd.
No. 17, 6th Main, 5th Cross,
Chamundeshwari Nilaya,
Begur Main Road, Hulimavu,
Bangalore Pin Code - 560068

विषयः-म.प्र. कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम 2009 के तहत विशेष अनुज्ञप्ति की अवधि बढाने के संबध में।

संदर्भः-आपका आवेदन दिनांक 08/05/2025।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 32-क के अधीन निर्मित नियम मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के तहत अधिसूचित कृषि उपज "धान्य तथा दलहन" के कारोबार हेतु 19 कृषि उपज मंडी समितियां सीहोर, आष्टा, विदिशा, बैतूल, इटारसी, खरगोन, कसरावद, छतरपुर, बंडा सतना, देवरी, रहली, मुलताई, भैंसदेही, इछावर, रेहटी, हरदा, भैंरूदा (औबेदुल्लागंज), शाहगढ के लिए अनंतिम अनुज्ञप्ति एक वर्ष की कालावधि के लिए का स्वीकृत की गई थी।

2. संदर्भित आवेदन के माध्यम से उक्त् मंडियों के क्षेत्रांतर्गत अधिूसचित कृषि उपज "धान्य तथा दलहन" का कारोबार किये जाने हेतु उक्त अनंतिम अनुज्ञप्ति की अवधि आगामी चार वर्ष बढ़ाने हेतु प्राप्त हुआ है।

3. आपके आवेदन पर कार्यवाही करते हुए संबंधित आंचलिक कार्यालयो के क्षेत्रांतर्गत संबंधित सचिव कृषि उपज मंडी समितियों से चैकलिस्ट अनुसार नियम 10(1) में उल्लेखित क्रय केन्द्र पर सुविधाओं का सृजन की रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसमें आपके क्रय केन्द्र पर सुविधाये विकसित नहीं किया जाना दर्शाया है।

4. जबकि "मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम 2009" की कंडिका 10 अनुज्ञप्ति की कालावधि-(1) के अनुसार प्रारंभ में अनन्तिम अनुज्ञप्ति दी जायेगी तथा एक वर्ष की कालावधि के लिये होगी. अनन्तिम अनुज्ञप्ति

Mail

यें यह शर्त होगी कि अनुज्ञप्तिधारक इस एक वर्ष की कालावधि के दौरान क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाओं का सृजन करेगा -

(एक) इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज

(दो) पेयजल की समुचित व्यवस्था

(तीन) समुचित प्रकाश व्यवस्था

(चार) पुरुष/महिला के लिये शौचालय की प्रसुविधा

(पांच) शेड की व्यवस्था

(छह) कृषकों के लिये छायादार विश्राम स्थल

(सात) भुगतान काउन्टर

(आठ) टेक्टर ट्राली की पार्किंग की समुचित व्यवस्था

(नौ) नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये आवश्यक उपकरण तथा मानव शक्ति.

नियम 10(4)- अनुज्ञप्तिधारक द्वारा उपनियम (1) में उल्लेखित सुविधाओं का सृजन कर लेने की स्थिति में उसे आगामी 4 वर्षों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति दी जायेगी.

आपके द्वारा उक्त नियम 10(1) में उल्लेखित शर्तो का पालन नहीं किये जाने से उक्त विशेष अनुज्ञप्ति की अवधि आगामी 4 वर्षों के लिये बढाया जाना संभव नहीं है।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

03/07/25

संयुक्त संचालक (नियमन)
मप्रराज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./नि./मेसर्स कीरिप टेक्नो.इंडिया प्रा.लि./725/1597 भोपाल, दिनांक 03/07/2025

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय............(समस्त)।
2. सचिव कृषि उपज मंडी समिति ....(समस्त)।

03/07/25

संयुक्त संचालक (नियमन)
मप्रराज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल